

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक - प्र05(2)बजट-(गै0यो0)-02/2011 - 73(17)खाद्य, पटना/दिनांक - 20.03.17
प्रेषक,

भरत कुमार दुबे,
सरकार के विशेष सचिव ।

सेवा में,

अवर सचिव-सह-
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग,
बिहार, पटना ।

विषय :- मुख्य शीर्ष-3451 सचिवालय आर्थिक सेवाएं, उपमुख्य शीर्ष-00, लघुशीर्ष-090 सचिवालय, मांग सं0-18, उपशीर्ष-0011 खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, विपत्र कोड सं0 एन0- 3451000900011 गैर योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए व्यय हेतु वेतनादि एवं अन्य मदों में कुल रूपये 26,94,000/- (रूपये छब्बीस लाख चौरानवे हजार) मात्र के आवंटन एवं व्यय की स्वीकृति ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में तृतीय अनुपूरक से प्राप्त राशि को वित्त विभाग के पत्रांक 357/वि0 दिनांक 10.03.2017, पत्रांक 4572/वि0 दिनांक 03.06.2016, पत्रांक 423/वि0, दिनांक 31.03.2016, एवं पत्रांक 2561/वि0, दिनांक 17.04.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय हेतु वेतनादि एवं अन्य मदों में निम्नांकित तालिका के अनुसार मदवार राशि आवंटित करते हुए आवश्यकतानुसार/नियमानुसार व्यय करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

तालिका

क्र0	विषय शीर्ष/ईकाई का नाम	वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु वर्तमान उपबंध	वर्ष 2016-17 लिए व्यय हेतु आवंटित मदवार राशि
1	2	3	4
1	01 01 वेतन	2,30,00,000	00
2	01 02 विशेष वेतन	40,000	00
3	01 03 जीवन यापन भत्ता	3,02,00,000	00
4	01 04 मकान किराया भत्ता	46,00,000	00
5	01 05 परिवहन भत्ता	6,00,000	00
6	01 06 चिकित्सा भत्ता	2,00,000	00
7	01 07 अन्य भत्ता	40,000	00
	वेतन एवं भत्ते का योग :-	5,86,80,000	00
8	05 01 पुरस्कार	6,000	00
9	06 01 चिकित्सा प्रतिपूर्ति	8,50,000	5,00,000
10	11 01 यात्रा व्यय	10,00,000	00
11	13 01 कार्यालय व्यय	16,00,000	00
12	13 02 वाहन का ईंधन एवं रख-रखाव	25,00,000	00

13	13 03 दूरभाष	3,00,000	00
14	13 05 विधि प्रभार	2,00,000	00
15	13 06 वर्दी/पोशाक	50,000	00
16	20 01 आतिथ्य व्यय	50,000	00
17	20 03 प्रशिक्षण व्यय	4,00,000	00
18	28 01 व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएं	32,00,000	7,00,000
19	51 01 मोटरगाड़ी	14,95,000	14,94,000
	योग:-	1,16,51,000	26,94,000
	कुल योग:-	7,03,31,000	26,94,000

26.94.000 / - (रूपये छब्बीस लाख चौरानवे हजार) मात्र

- यह व्यय मुख्य शीर्ष-3451 सचिवालय आर्थिक सेवाएं, उपमुख्य शीर्ष-00, लघुशीर्ष-090 सचिवालय, मांग सं0-18, उपशीर्ष-0011 खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, विपत्र कोड सं0 एन0-3451000900011 गैर योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में विकलनीय होगा।
- राशि की निकासी अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी
- राशि की निकासी पूर्णतः वित्तीय नियमों एवं वित्त विभाग के द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में की जायेगी। किसी भी प्रकार की गलत एवं अधिकायी निकासी के लिये निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होंगे।
- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक इकाईवार व्यय प्रतिवेदन बजट शाखा को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे।
- विभागीय आदेश/ज्ञापांक संख्या 1420 दिनांक 20.03.2017 के आलोक में आवंटन निर्गत किया जाता है।
- दिये गये आवंटन में सरकार के सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-प्र05(2)बजट-(गै0यो0)-02/2011- 73 (ए071L) खाद्य, पटना/दिनांक-20.03.17
प्रतिलिपि-महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-प्र05(2)बजट-(गै0यो0)-02/2011- 73 (ए071L) खाद्य, पटना/दिनांक-20.03.17
प्रतिलिपि-वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-प्र05(2)बजट-(गै0यो0)-02/2011- 73 (ए072) खाद्य, पटना/दिनांक-20.03.17
प्रतिलिपि-माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी- 1 एवं 5 (लेखा शाखा को दो प्रतियों में) एवं आई0 टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।